बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अ धि सू च ना ।।

पटना—15, दिनांक : **04** अगस्त, 2016

संख्या : 1/सी0—1011/2008—सा0प्र0—10697/श्री बैद्यनाथ प्रसाद, भा0प्र0से0(95) —सेवानिवृत्त को चयन ग्रेड में(विशेष सचिव स्तर) में प्रोन्नति की पात्रता दिनांक 01.01.2008 को परिपक्व हुई थी। वर्ष, 2008 में दिनांक 05.12.2008 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अन्य पदाधिकारियों के साथ श्री प्रसाद का मामला भी चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) में प्रोन्नति के लिये विचारित हुआ था। परन्तु, तत्समय श्री प्रसाद के विरुद्ध दो विभागीय कार्यवाहियों के संचालित रहने के कारण समिति द्वारा इनसे संबंधित अनुशंसा शील्ड कवर में रखी गयी।

2. श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों में अंतर्निहित परिस्थितियों के कारण इनका मामला भारत सरकार द्वारा भा0प्र0से0 के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नतियों के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका—18.1 के प्रावधानों से आच्छादित है।

3. मामले में समावेशित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री बैद्यनाथ प्रसाद, भा0प्र0से0(95)—सेवानिवृत्त को उनसे कनीय पदाधिकारी—श्री जीवन कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(95) को चयन ग्रेड में(विशेष सचिव स्तर) में दिनांक 22.05.2009 से प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उक्त ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान `37,400—67,000+ग्रेड पे—8700/—) में वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
5/8/16
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1011/2008—सा0 प्र0—**10697**/पटना—15, दिनांक: 04 अगस्त,**2016**

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा—आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली /महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य

सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, <u>to be exercised within one month from the date of such appointment,</u> for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

ह०/- 4/8/16

(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव